<u>वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना संख्या – 16</u>

फा सं – 70-एनटी/(1)/2008-पीटी   दि.02.09.2014

<u>विषय – पानी से व्यक्तियों को निकालने के लिए पोत विशिष्ट योजनाएं तथा प्रक्रियाएं ।</u>

<u>प्रस्तावना</u> : 'पानी से व्यक्तियों को निकालना' विनियम – III/17-1 के अनुसार आई.एम.ओ समुद्रीय सुरक्षा समिति (एम.एस.सी.) ने अपने 91वें सत्र (नवम्बर – 2012) सोलास में संशोधन अंगीकार किए ।

1. <u>प्रयोज्यता</u> – सोलास कन्वेंशन के विनियम – III/17-1 के संदर्भ में किए गए संशोधनों को 1 जुलाई, 2014 को प्रवृत्त किया गया । इन संशोधनों में यह अपेक्षा है कि सभी पोतों पर, पानी से व्यक्तियों को निकालने के लिए पोत विशिष्ट योजनाएं और प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जाए ।

1 जुलाई, 2014 से पहले निर्मित पोत, 1 जुलाई 2014 के बाद से पोत का पहला आवधिक या नवीकरण सुरक्षा उपकरण सर्वेक्षण में से जो पहले हो उसके द्वारा इस अपेक्षा का अनुपालन करेगें, और जो रो-रो यात्री पोत सोलास विनियम – III/26.4 का अनुपालन करते हैं, उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वो इस विनियम का पालन करते हैं ।

2. <u>प्रक्रिया</u> – आई.एम.ओ परिपत्र एम.एस.सी.1/परिपत्र 1447 (पानी से व्यक्तियों को निकालने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए मार्गदर्शी सिध्दांत) से पोत विशिष्ट योजनाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।

भारतीय पोतों द्वारा निम्नानुसार उक्त विनियम का अनुपालन किया जाएगा -

500 सकल टन भार से अधिक वाले कार्गो पोतों के लिए :

2.1 आई.एस.एम. कोड के खंड 8 द्वारा अपेक्षित आपातकालीन तैयारी योजना के भाग के रुप में योजना और प्रक्रियाओं को समझा जाना चाहिए और ऐसी योजनाओं को प्रशासन द्वारा अनुमोदित करवाए जाने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, योजना के अनुसार कार्यान्वय तथा अन्य अभिलेखों को प्रशासन द्वारा वार्षिक निरीक्षण के दौरान वार्षिक रुप से सत्यापित किया जाएगा ।

2.2 योजनाओं और प्रक्रियाओं को वार्षिक रुप से समीक्षा की जाएगी ।

2.3 समुद्र से व्यक्तियों को निकालने के लिए पोत विशिष्ट योजनाओं और प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए (लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है) ।

I प्रत्येक पोत के जीवनरक्षी उपस्कर या अन्य उपकरणों की पहचान ।

II पहचाने गए उपकरण के लिए उपयुक्तता और जोखिम मूल्यांकन किया जाना ।

III यह निर्धारित करना कि क्या अतिरिक्त उपकरण या विशेषीकृत उपकरण की आवश्यकता होगी ।

IV योजनाओं और प्रक्रियाओं को विकसित करना तथा विपत्ति का शमन करने के उपायों पर विचार करना ।

V रिकवरी की प्रक्रियाएं ।

VI प्रशिक्षण / ड्रील और रिकोर्ड ।

VII सुरक्षा प्रबंधन तंत्र का समेकन ।

VIII प्रत्येक कर्तव्य / प्रक्रिया की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां ।

IX योजना समीक्षा प्रक्रियाएं ।

2.4 रिकवरी योजनाएं और प्रक्रियाएं इस तरह की होनी चाहिए कि रिकवरी उपकरण सहित पोत के किनारे या अन्य संरचनाओं के असर की वजह से चोट के जोखिम को कम से कम करके पानी से पोत पर व्यक्तियों को लाया जाए ।

500 सकल टन भार से कम के कार्गो पोतों के लिए ।

उपर्युक्त उपपरिच्छेद 2.1 से 2.4 (दोनों शामिल) का संक्षिप्त संस्करण इनके माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है -

पोत का एस .एम.एस प्रक्रिया मैनुअल; या

यदि ऐसे जलयानों पर अंतरदेशीय सुरक्षा प्रबंध प्रणाली (डी.एस.एम.एस.) लागू नहीं है तो, सोलास विनियम III/35 के अंतर्गत यथापेक्षित प्रशिक्षण मैनुअल और पोतस्थ प्रशिक्षण उपकरण ।

एस. कु. शुक्ला

(कप्तान एस के शुक्ला)
उप नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार